इकाई–5

राष्ट्रीय आयोगों का गठन एवं कार्य
(Composition and Functions of National Commissions)

पाठ संरचना (Lesson Structure)

5.0 उद्देश्य (Objective)

5.1 परिचय (Introduction)

5.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Women)

5.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

5.4 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एवं कार्य (Compositions and Functions of National Commission for Backward Classes)

5.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Minorities)

5.6 राष्ट्रीय बल आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Children)

5.7 सारांश (Summary)

5.8 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

5.9 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

5.0 उद्देश्य (Objective)

इस पाठ्य संरचना का उद्देश्य समाज कल्याण से सम्बन्धित जितने भी आयोगों को सरकार द्वारा बनाया गया है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना । महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग तथा बाल विकास से सम्बन्धित आयोगों का अध्ययन एवं जानकारी प्राप्त करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है ।

5.1 परिचय (Introduction)

भारतवर्ष एक विशाल देश है । इसमें विभिन्न जातियों, भाषाओं, बोलियों का संगम है । भारतीय समाज की इन विविधताओं में संस्कृति की एकता पाई जाती है । भारतीय समाज में अन्य वर्गों के साथ जनजातियों, दलितों, महिलाओं और पिछड़ा वर्ग का अस्तित्व पाया जाता है । भारत में पाँच सौ से भी अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं । भारतीय संविधान में जनजातियों, पिछड़े वर्गों, दलितों आदि की सुविधाएँ और संरक्षण प्रदान किये गये हैं जिससे उन्हें सामाजिक विकास के सामान्य स्तर तक लाया जा सके । संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है । इस प्रकार संविधान के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दलितों जो सदियों से ऊँच-नीच, छूआछूत जैसी बुराइयों का शिकार रही हैं, महिलाओं, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यकों तथा बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किये गये हैं । परन्तु इन संवैधानिक प्रावधानों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए अनेक आयोगों का गठन किया गया है । जिससे कि समाज के इन वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाये ।

5.2 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Women)

महिलाएँ और बच्चे हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हैं और मानव संसाधन विकास का एक अतिमहत्वपूर्ण स्रोत हैं । महिला एवं बाल विकास विभाग का महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के अधीन 30.01.2006 से मंत्रालय के रूप में उन्नयन, इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है । महिलाओं के विषय में नोडल मंत्रालय होने के नाते, यह मंत्रालय महिलाओं के प्रति भेदभावों को समाप्त करने के लिए कानूनों की समीक्षा करके महिलाओं के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के उद्देश्य से नये कानूनी उपाय प्रस्तुत करके तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु व्यापक प्रसार वाले कार्यक्रम कार्यान्वित करके महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के प्रयास करता रहा है ।

विगत् वर्षों के दौरान महिलाओं को मात्र दया की पात्र समझने वाले कल्याणोन्मुखी दृष्टिकोण से आरम्भ होकर, विकास कार्यक्रमों से होते हुये सशक्तिकरण की मौजूदा अवधारणा तक आ पहुँची है । छठी पंचवर्षीय योजना से ही मुख्यत: महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर बल देते हुये राष्ट्रीय योजनाओं में उन्हें

विशेष स्थान दिया जा सका । इस प्रकार प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जाता रहा और इसी के कारण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया ।

भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस समिति ने केन्द्र स्तर पर एक महिला आयोग गठित करने की सिफारिश की । 30 अगस्त, 1990 को तत्कालीन जनता दल सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया । किन्तु यह अधिनियम 31 जनवरी, 1992 से लागू हुआ ।

गठन (Composition)

अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं । अध्यक्ष महिलाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है ।

इसके अतिरिक्त, इस आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा 5 अन्य मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसका मनोनय इसी श्रेणी के व्यक्तियों में से होगा । जैसे; समाजशास्त्री, कानून विशेषज्ञ, श्रम संघ, औद्योगिक प्रबन्धन प्रशासन, सामाजिक आर्थिक विकास आदि । आयोग के सदस्यों में से ही एक सचिव चुना जाता है ।

आयोग के तहत् एक सलाहकारी सेल का भी गठन किया गया है । इस सेल के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को परिवार-सलाह और कानूनी मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाते हैं । इस व्यवस्था ने आयोग को और अधिक मजबूती प्रदान की है । आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का सेवाकाल **तीन वर्षों** का होता है ।

आयोग ने अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए एक विधायी एकक स्थापित किया है । आयोग के विधायी एकक ने उन संवैधानिक प्रावधानों तथा अधिनियमों का पता लगाया है जिनका महिलाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है । महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों तथा अन्य विधाई उपायों की जाँच और समीक्षा करने के लिए विधायी एकक के अलावा तीन और विशेषज्ञ समितियों का भी गठन किया गया है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । इस आयोग के गठन से महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है । आयोग के प्रमुख कार्य हैं :-

1. संविधान में महिलाओं से जुड़े प्रावधानों तथा अन्य कानूनों का अन्वेषण और परीक्षण करना तथा इन विधानों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये सरकारों को सुधारात्मक सुझाव देना ।
2. महिलाओं से जुड़े वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा अगर उनमें कोई त्रुटि है, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देना ।
3. महिलाओं की उन शिकायतों पर ध्यान देना जिनसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तथा उपयुक्त अधिकारी के साथ जवाब तलब करना ।

4. महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान आयोजित करना ।

5. महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उसमें अपना सुझाव देना एवं इस दिशा में हुई प्रगतियों का आकलन करना ।

6. उन कारागारों तथा सुधार-गृहों का निरीक्षण करना जहाँ महिलाओं को बन्द करके रखा गया है, तथा जहाँ जरूरी हो, इनमें सुधारवादी कदम उठाने की सलाह देना ।

7. महिलाओं के किसी बड़े संगठन को प्रभावित करने वाले मुकदमों पर ध्यान देना ।

8. महिलाओं की प्रगति पर केन्द्र सरकार को प्रत्येक वर्ष या जब कभी आयोग ऐसा करना उचित समझे, रिपोर्ट भेजना ।

9. महिलाओं से जुड़े विशेष विषय पर सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट भेजना ।

10. केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय ।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किये गये कुछ विशेष उपाय निम्नलिखित हैं :-

1. पारिवारिक महिला लोक अदालतें : आयोग ने 2012 तक सारे देश में 70 से अधिक अदालतें प्रयोजित की हैं, जिन्हें लगभग 35,000 मामले भेजे गये ।

2. कानूनी जागरुकता : महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का सृजन करने के लिये राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इन्दिरा यूनिवर्सिटी बैगलुरु के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोजित किये ।

3. महिला कैदियों तथा बन्दी गृहों में फैसले की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं का कल्याण : आयोग ने राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि उन कैदियों को रिहा कर दिया जाये जिन्होंने 10 वर्ष की सजा पूरी कर ली है और जिनका आचरण संतोषजनक रहा है और जिनकी बीमारी, वृद्धावस्था अथवा अक्षमता से दुबारा अपराध करने की संभावना नहीं है ।

4. संसद तथा विधान सभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण : महिलाओं के लिये लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में आरक्षण के लिये संविधान के 81वें संशोधन का समर्थन करने के लिये आयोग ने अनेक सक्रिय प्रयास किये ताकि विधेयक के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके ।

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य-प्रणाली को यदि देखा जाय तो इसकी **कार्य-प्रणाली** निम्नलिखित तरीके से कार्य करती है ।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों की सुनवाई करने में राष्ट्रीय महिला आयोग को एक दीवानी न्यायालय का दर्जा मिला हुआ है । आयोग किसी भी व्यक्ति की पेशी और उसका परीक्षण कर सकता है । वह किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है तथा शपद पत्र के साथ किसी प्रमाण को ग्रहण कर सकता है । अधिनियम की धारा 16 के तहत् केन्द्र सरकार के लिये महिलाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग से सलाह करना बाध्यकारी होता है ।

आयोग के कार्यों में सहयोग देने के उद्देश्य से कई विशेषज्ञ समितियाँ गठित की गई है । ये समितियाँ अनेक विषयों पर आयोग को सलाह देती हे । कुछ महत्वपूर्ण विषय जिन पर विशेष समितियाँ गठित की गई हैं, वे इस प्रकार हैं-सामाजिक सुरक्षा, वेश्वावृत्ति, पारिस्थितिकी, पंचायती राज, महिला विकास, महिला और संचार साधन, आदिवासी महिला, महिलाओं के लिए न्यायिक हिरासत और अनुसूचित जाति की महिलाओं को समस्याएँ ।

आयोग से प्राप्त रिपोर्ट को केन्द्र सरकार संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करती है । अगर रिपोर्ट में किसी सुझाव को सरकार स्वीकार नहीं करती है, तो उसे उसका कारण बताना पड़ता है ।

मूल्यांकन—कई महिला संगठनों का मानना है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण नहीं है । इसके कार्यक्षेत्र तो विस्तृत हैं, लेकिन इसे अपने कार्यों के प्रति अधिकार नहीं प्राप्त हैं । कुछ महिला संगठनों का सुझाव है कि महिला आयोग का संवैधानिक दर्जा मिले तथा उसके सुझावों को सुरकार के लिए बाध्यकारी होना चाहिए । लेकिन कुछ अन्य संगठनों के अनुसार इस आयोग को अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए । राष्ट्रीय स्तर पर गठित किसी महिला आयोग में देश की सामान्य महिलाओं की पहुँच अत्यधिक मुश्किल हो जाती है । इसके फलस्वरूप 1995 में 8 राज्यों ने राज्य महिला आयेागों का गठन किया । ये राज्य हैं-महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली । अब राज्यों की संख्या बढ़ गई है ।

आयोग अपना कार्य बहुत सफलतापूर्वक कर रहा है । वर्ष 1995 में आयोग के पास महिलाओं पर किये गये अत्यचारों और हिंसाओं से जुड़ी 318 शिकायतें दर्ज की गयीं । इनमें 167 से अधिक मामलों में आयोग ने उपयुक्त कार्यवाही की । आयोग के सदस्यों ने बिहार, गुजरात आदि राज्यों के उन कारागारों का निरीक्षण किया जहाँ महिला अपराधियों को कैद करके रखा गया था । आयोग उन पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठकें करता है, जो महिला उत्पीड़न कोष के साथ जुड़े होते हैं । इसके अतिरिक्त आयोग विशेषज्ञों, महिला कार्यकर्त्ताओं और सवयंसेवी संगठनों के साथ भी बैठकें करता है, ताकि महिला विकास के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण व्यावहारिक आधार पर हो सके । विज्ञंग में 4 सितम्बर से 15 सितम्बर 1995 को विश्व महिला संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया था । भारत के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष ने भी उस सम्मेलन में भाग लिया था । महिलाओं के विकास और कल्याण तथा अन्य लिंग विशेष विषयों पर आयोजित सम्मेलनों और बैठकों में आयोग के अन्य सदस्य और सचिव भाग लेते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आयोग अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहा है ।

राष्ट्रीय महिला कोष (RMK)—राष्ट्रीय महिला कोष एक राष्ट्रीय ऋण कोष है, जिसका गठन 1993 में 30 मार्च को हुआ था । इसका मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में निर्धन महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना है । गरीब महिलाओं को ऋण उपलब्ध हो सके इसके लिये यह संसाधनों का आधार तैयार करता है । लाभार्थी महिलाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है । गैर-सरकारी संगठनें के अतिरिक्त, महिला विकास निगमों और सरकारी समितियों का भी इस कार्य में सहयेाग लिया जाता है ।

इसका गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में किया गया है। राष्ट्रीय महिला कोष को एकमुश्त 31 करोड़ रुपये की राशि दी गई तथा 2008-09 में 31 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ इसे 119 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया।

राष्ट्रीय महिला कोष के प्रबन्धन के लिये 16 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) वाली एक संचालक मंडल अथवा शाशी निकाय होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री/राज्य मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सात सम्बन्धित विभागों के सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। शाशी निकाय में सात ऐसे मनोनीत सदस्य भी होते हैं जिन्होंने सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। कार्यकारी निदेशक, जो इस कोष के दैनिक कार्यों के लिये उत्तदायी होता है, वह भी शाशी निकाय का एक सदस्य होता है।

राष्ट्रीय महिला कोष अब तक 103 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से करीब 99,627 महिलाओं के बीच 18.13 करोड़ रुपयों का वितरण किया है। लघुकालीन ऋण 5-15 महनों के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं औश्र इसके अन्तर्गत लाभार्थी अधिकतम 2,500 रुपये का ऋण प्राप्त कर सकता है। सावधि ऋण, जिसकी अदायगी उसे 5 वर्षों के अन्दर करनी पड़ती है, की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

इस प्रकार महिला विकास की दिशा में उठाया गया यह एक अच्छा कदम है। लेकिन ऋण राशि की मांग बहुत कम है। इतनी कम राशि से शायद ही कोई अर्थपूर्ण अद्यम शुरू किया जा सकता है। इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिये।

स्वनियोजित महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं पर भी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वनियोजित महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1987 में की गयी थी।

इस आयोग का गठन गरीब महिलाओं के कार्य और रहने की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिये लिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट "श्रय शक्ति" में स्वनियोजित और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया। विद्यमान संस्थाओं और व्यवस्था तंत्र की जाँच की और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये व्यापक सिफारिशें की, जिस पर सरकार ने सक्रिय रूप से विचार करना शुरू किया।

स्वनियोजित महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग ने महिलाओं के लिये कानूनी साक्षरता मैनुअल बनाया। महिला विभाग के समर्थन एवं जागृति विकास प्रयासों के एक भाग के रूप में "हमारे कानून" नामक दस सचिग कानूनी साक्षरता मैनुअलों का एक सैट सरल भाषा में तैयार करवाया गया है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों की महिलायें अपने कतिपय बुनियादी कानूनी अधिकारों और शिकायतों के निवारण के तरीकों को ठीक तरह से समझ सकें। इन मैनुअलों में 'कामकाजी महिलायें'; 'बाल श्रमिक', 'बंधुआ मजदूरी', हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण, जिसमें सम्पत्ति का अधिकार, दहेज, बलात्कार और पुलिस प्रक्रिया जैसे विषयों सहित हिन्दू, मुस्लिम और इसाई विवाह कानून शामिल है।

इस प्रकार राष्ट्र महिला आयोग तथा महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये तथा उनमें जागरूकता लाने के लिये उनमें कानूनी जागरूकता लाने का प्रयास किया।

5.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Scheduled Casts and Scheduled Tribes)

भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समूह एवं श्रेणियाँ पायी जाती हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पर्याप्त भिन्न-भिन्न हैं। सामाजिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। कभी-कभी उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में उँचनीच, छुआछूत जैसी बुराईयों का मुख्य शिकार यही 'दुर्बल वर्ग' है। समाज के इन दुर्बल वर्गों को अनुसूचित जातियों (Scheduled cast) के रूप में जाना जाता है।

भारतीय समाज में अन्य वर्गों के साथ जनजातियों का अस्तित्व भी पाया जाता है। भारत में पाँच सौ से भी अधिक जन जातियाँ पायी जाती हैं। उनकी जन संख्या कुल जन संख्या का लगभग 7% है। जनजातियों को 'आदिवास', 'आदिम जाति तथा 'वन्य जाति' आदि नामों से पुकारा जाता है। इनकी एक सामान्य संस्कृति है जो आज भी अपनी प्राचीन जीवन शैली को बनाये हुये हैं। ये आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुये हैं।

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये अनेक उपाय किये हैं। भारतीय संविधान में भी जनजातियों और अनुसूचित जातियों को समाजिक स्तर पर लाने के लिये अनेक सुविधायें और संरक्षण प्रदान किये गये हैं। संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिये लोक सभा में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 जैसे संवैधानिक प्रावधान अनुसूचिज जातियों और जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है।

समाज के दलित वर्ग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। अस्पृश्यता से सम्बन्धित निर्योग्यताओं के कारण इनका सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर भी काफी नीचा रहा है। भारतीय सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिये संवैधानिक अनुच्छेदों में विविध प्रावधानों के साथ-साथ 1955 में एक अधिनियम पास किया। यह अधिनियम 1 जून 1955 में सारे देश में लागू किया गया। इस कानून की 17 धाराओं द्वारा अस्पृश्यता की सभी निर्योग्यतायें समाप्त कर दी गई। इसकी प्रमुख धारा 3, 5 और 7 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके प्रावधानों एवं दण्ड व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाने की दृष्टि से 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1976' तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 पारित किये गये।

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधानों एवं अस्पृशता ( )अपराध) अधिनियम 1955 के अतिरिक्त राष्ट्रपति ने अनुसूचित जातियें एवं जनजातियों के कल्याण कार्यों की देख रेख के लिये एक आयुक्त की नियुक्ति की है। इस आयुक्त की सहायता के लिये अनेक सहायक आयुक्त भी नियुक्त कये गये हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया है जो सरकार को इनके कल्याण के बारे में सलाह देता है तथा इसके कल्याण की योजनाओं बनाता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन–भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियें के विकास कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों की नीति बनाने के लिये एक प्रमुख मंत्रालय है। इसके महत्व को समझते हुये अलग से केन्द्र में जनजातीय कार्य मन्त्रालय बनया गया।

जुलाई 1978 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये एक आयोग का गठन किया गया था।

गठन–इसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य सम्मिलित थे। इन सदस्यों में एक विशेष अधिकारी भी है जिसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। इसे अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयुक्त के नाम से जाना जाता है।

आयोग का कार्य–आयोग का कार्य संवैधानिक संरक्षणों सरकारी सेवाओं में आरक्षण सं सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच पड़ताल करना है। इसके अलावा अस्पृश्यता तथा उससे उत्पन्न घृणित भेदभाव को समापत करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के बारे में अध्ययन करना भी है। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति किये जाने वाले अपराधों के लिये जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक तथा अन्य संगत परिस्थितियों का पता लगाना है, ताकि उपचार के सही तरीके सुझाये जा सकें।

संविधान के अनुच्छेद 338 को संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिये विशेष अधिकारी को सामान्यत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नाम से जाना जाता है, के स्थान पर व्यापक कार्यों और शक्तियों सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य है। इन सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। राष्ट्रपति ही उनके कार्यों की शर्तों का निर्धारण करेगा। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 के तुरन्त बाद 338(क) जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिये पृथक से 'राष्ट्रीय जनजाति आयोग' (19 फरवरी 2004) के गठन का प्रावधान किया गया है।

संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तं और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमश: केन्द्रीय मन्त्री और राज्य मन्त्री का दर्जा दिया गया है, जब कि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य' अपने कार्य भाग धारण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक इस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

इस आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी मामलों की जाँच करना और उन्हें मोनीटर करना अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना। अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उत्थान सम्बन्धी अन्य कार्य का निर्वहन करना तथा सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले उपायों हेतु रिपोर्ट। सिफारिशें करना शामिल है। (वार्षिक रिपोर्ट, 2009-10, जनजातीय कार्य मन्त्रालय) केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य बनाया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाली किसी भी नीति के सम्बन्द्रा में इस आयोग से परामर्श करें।

इस आयोग को मुकदमा चलाने के लिये एक सिविल अदालत की शक्तियों से युक्त भी बनया गया है ।

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के लिये संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जाँच करने के लिये तीन संसदीय समीतियाँ गठित कीं । पहली समीति 1968 में, दूसरी समिति 1971 में और तीसरी समिति 1973 में गठित की गई । यह एक स्थायी संसदीय समिति है और इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है ।

इन सब प्रावधानों के अतिरिक्त आयोग को अनेक कार्य सौंपे गये हैं ।

आयोग के कार्य :-

संविधान द्वारा आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं–

1. अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के आयोग के साथ व्यापक विचार मिर्भाव करना होगा ।
2. इन जातियों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में यह आयोग जाँच कर सकेगा । जाँच के बीच मे आयोग किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है । और कोई भी दस्तावेज मांग सकता है ।
3. आयोग इन जातियेां के आर्थिक सामाजिक विकास के लिये राज्यों और केन्द्र में चलने वाला योजनाओं का मूल्यांकन करेगा तथा इस प्रसंग में राष्ट्रपति सहित सभी पदाधिकारियों को सुझाव देगा ।
4. आयोग प्रति वर्ष अथवा अपने विवेक के अनुसार जब उचित समझे, राष्ट्रपति को इन जातियेां की स्थिति तथा अपने कार्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । यह प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है । राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है ।
5. आयोग का प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

आयोग ने देश में मुख्य धार्मिक अल्पसंख्या का द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के लिये अलग से व्यापक अध्ययन करने के लिये जून 1997 में उच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति गठित की ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन एवं कार्यों को देखने के उपरान्त यह आवश्यक है कि यहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त एवं विकास निगम की भी चर्चा की जाये ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के आर्थिक विकास के लिये आर्थिक रूप से तथा तकनीकी दृष्टि से योजनायें शुरू करने और उन्हें तथा उन्हें वित्त पोषित करने के लिये बनाया गया । एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिये 8 फरवरी 1989 को इसे बनाया गया । यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये रोजगार सृजन के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में योजनाओं को वित्त प्रदान करता है–

(1) कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र (2) बागवानी (3) पशुपालन तथा डेयरी उद्योग (4) लघु सिंचाई (5) लघु उद्योग (6) व्यापार तथा सेवाएँ (7) परिवहन इत्यादि ।

भारत सरकार के आदेशों पर निगम के विभाजन के फलस्वरूप निगम 10 अप्रैल, 2001 से केवल अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों को देख रहा है ।

जन जातीय विकास (Welfare of Scheduled Tribes)

पाँचवी योजना के दौरान जनजातीय विकास के लिये भी एक नयी योजना बनाई गई । इसके अनुसार जिन इलाकों में 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा प्रतिशत जनजाति के लोग रहते हैं ऐसे इलाकों के लिये 18 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में उप योजनायें बनायी गयीं । जन जाति के लिये बनी उप-योजनाओं के मुख्य उद्देश्य हैं :-

1. जनजाति क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास के अन्तर को कम करना;
2. जन जातियों के रहन-सहन को ऊँचा उठाना ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जनजातियों का शोषण समाप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी गयी है । विशेषकर भूमि, महाजनी, कृषि और वन की उपज में जो अनाचार फैला हुआ है, इसे समाप्त करने का प्रावधान किया है ।

जन जातीय विकास के लिये संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 4 के अन्तर्गत **आदिवासी सलाहकार परिषद्,** आदिवासी विकास और कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तन्त्र के रूप में है । अनुसूचित क्षेत्रों वाले आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान तथा दो गैर अनुसूचित क्षेत्र राज्यों अर्थात् तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अदिवासी सलाहकार परिषदों का गठन किया है ।

इसके अतिरिक्त भी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल खोलने की योजना बनाई गई । यह योजना 1990-91 में शुरू की गई । आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण जो एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 1992-93 में शुरू की गई और राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की गई ।

यहाँ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) की भी चर्चा करना आवश्यक है । जनजातीय लोगों को व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा उन्हें वन उत्पादों एवं कृषि उपज के लिये अधिक लाभ दिलाने के लिये सरकार ने 1987 में ट्राइफेड का गठन किया गया था । और इसे परिसंघ बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के अन्तर्गत पंजीकृत भी किया गया ।

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम शुरू से ही दो नीतियों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है :- (1) इनके जीवन स्तर को उठाने के लिये विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और (2) कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों द्वारा इनके हितों का संरक्षण ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को 30 जनवरी, 1990 से लागू किया गया जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अन्य समुदायों के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों को रोकना औश्र नियन्त्रित करना है ।

इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक भौलिक अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था के स्तर पर स्थापित किया गया है । यह अनुसूचित जाति को प्राप्त सभी सुरक्षाओं के नियमित कार्यान्वयन की निगरानी करता है । इस वर्ग के उत्थान को बढ़ावा देने वाले वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो किसी मामले की सुनवाई कर रहे "सिविल न्यायालय" को प्राप्त होते हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रुपये तथा शहरी इलाकों में 5,50,000 रुपये वार्षिक से नीचे गुजारे करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये रियायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है । यह निम महिलाओं के लिये "महिला समृद्धि योजना" भी लागू कर रहा है जिससे 2006-2007 तक 53,315 लाभार्थी लाभ उठा चुके हैं ।

वर्तमान में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम 26 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है । इसमें केन्द्रीय सरकार 47% और राज्य सरकार 51% हिस्सा देती है ।

राष्ट्रीय अनुसूचिज जनजाति वित्त तथा विकास निगम आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को विभाजित करके अप्रैल 2001 में "जनजातीय मामले मंत्रालय" के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम स्थापित कर दिया है । निगम की अधिसूचित शेयर पूँजी पाँच सौ करोड़ रुपये हैं । निगम कें स्वयं सहायता समूह को विकास कार्य में संलग्न होने के लिये विशेष योजना के अधीन प्रत्येक एस० एच० जी० को 25 लाख वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त "आदिवासी महिला संशक्तीकरण योजना" है । इसमें इन महिलाओं को 50 हजार रुपये तक कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है । इस वर्ग के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये लघु ऋण योजना का भी प्रावधान किया गया है ।

इस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिये अनेक कल्याण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जैसे शिक्षण तथा उससे सम्बन्ध योजनायें लड़कियों के लिये छात्रावास, पुस्तक बैंक योजना, विशेष संघटक योजनायें (Special components plan) तथा विशेष केन्द्रीय सहायता इत्यादि । और इन सबों को सही तरीके से चलाने के लिये अनसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई ।

5.4 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Backward Classes)

भारत का संविधान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर भारत के लोगों की एक श्रेणी अर्थात् 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ वर्ग' या विछड़ा वर्ग का श्रेणी के अस्तित्व को विशेष रूप से मान्यता देता है ।

भारतीय संविधान की भौलिक अवधारणा थी–देश में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना जिसमें समाज के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। संविधान निर्माताओं ने समाज के पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल दिया, क्योंकि स्वतन्त्रता के समय वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हुये थे। इनके पिछड़ेपन का कारण इनका धार्मिक विश्वास या रीति रिवाज नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति इसके लिये जिम्मेदार थी।

संविधान की धाराओं 15(4) और 16(4) के अनुसार सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये कदम उठा सकती है। इन्हीं प्रावधानों का लाभ उठाने के लिये सरकार ने पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने की कोशिश की ताकि उनके विकास के लिये विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा सके। संविधान की धारा 340 सरकार को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच करने और उन्हें अनुदान राशि प्रदान करने के लिये अधिकृत करती है। संविधान के अनुसार अशिक्षा, गरीबी, शोषण, सेवाओं में प्रतिनिधित्व का अभाव, अस्पृश्यता, आदि ऐसे मापदण्ड है जिनके आधार पर पिछड़ेपन का निर्धारण किया जा सकता है। पिछड़े देने के उद्देश्य से देश स्तर पर दो आयोगों का गठन किया गया– (1)काका साहेब कालेलकर आयोग (2) मण्डल आयोग।

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, अर्थात् काका साहेब कालेलकर आयोग (1953) ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिये निम्नांकित मापदण्डों का निर्धारण किया–

1. परम्परागत जाति व्यवस्था क्रम में निम्न स्थान;
2. किसी जाति या समुदाय के अधिकांश सदस्यों में सामान्य शिक्षा का अभाव;
3. सरकारी सेवा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं या कम प्रतिनिधित्व;
4. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

द्वितीय पिछड़ा आयोग 1978 में वी० पी० मण्डल को अध्यक्षता में बना। इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के लिये तीन विस्तृत शीर्षकों (सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक) के अन्तर्गत ग्यारह (11) सूचकों का निर्धारण किया। सदस्यीय मण्डल आयोग ने 31 दिसम्बर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। इस आयोग का उद्देश्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करके उनके उत्थान के लिये दिशा–निर्धारण था। आयोग के अनुसार देश भर में इनकी संख्या कल आबादी का 54% है। आयोग की मुख्य सिफारिश है कि पिछड़ी जातियों के लिये सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में 27% आरक्षण हो।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मण्डल रिपोर्ट को 1990 में लागू करने की घोषणा की। प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे देश में प्रचनड विरोध हुआ। केन्द्रीय सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सेवाओं के सभी समूहों में सीधी भर्ती में कुल रिक्तियों के 27% पर आरक्षण की व्यवस्था करने के लिये आदेश जारी किये थे। उच्चत्तम न्यायालय में इन आदेशों को चुनौती देने के लिये रिट यायिकाओ का तांता लग गया। उच्चत्तम न्यायालय ने 16.11.92 के अपने निर्णय में 13.8.90 के आदेश में कुछ संशोधन करते हुये इसे बनाए रखा। भारत सरकार ने एक संशोधित कार्यरूप ज्ञापन 8.9.93 को जारी किया जिसमें

'क्रीमीलेयर' को अलग करने की शर्त पर भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर सेवाओं और रिक्तियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इस वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया है।

8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई है कि उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन के लिये पहले चरण में अन्य पिछड़े वर्गों में वे जातियों और समुदाय शामिल होंगे जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकारों की सूचियों में होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में सिकी जाति/समूह को समय-समय पर शामिल करने और/या हटाने की सिफारिश करने के लिये केन्द्र में एक स्थायी निकाय स्थापित करने की व्यवस्था करने हेतु-**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार पिछड़े वर्ग सम्बन्धी समस्याओं और नीति को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने 1993 में "राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग" का गठन किया।

आयोग की सिफारिशें सरकार पर सामान्यत: बाध्यकारी होंगी।

राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन :-आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायाधीश आर० एन० प्रसाद (सेवा निवृत) थे। उनकी अध्यक्षता में 14 अगस्त 1993 को तीनल वर्षों की अवधि के लिये इस आयोग का गठन किया गया। 28 फरवरी, 1997 को दूसरा आयोग तथा 28 जुलाई, 2000 को तीसरा आयोग गठित किया गया। 13 अगस्त 2006 में न्यायमूर्ति (सेवा निवृत) एस० रत्नावल पंडियन की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। दिसम्बर 2006 तक 22 अधिसूचनाओं के माध्यम से आयोग द्वारा प्रस्तुत सलाह के आधार पर 2,303 जातियों, उपजातियों/समानार्थक जातियों/समुदायों को अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार आयोग मे एक अध्यक्ष होगा जो उच्चत्तम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या रहा हो। आयोग में तीन (3) सदस्याओं में एक समाज विज्ञानी तथा दो ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किये जायेंगे, जिन्हें पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित मामलों का विशेष ज्ञान हो। सदस्य सचिव (Member secretary) के रूप में भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई अधिकारी आयोग में नियुकत किया जाता है। इस प्रकार इस आयोग में कुल पाँच (5) व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं। अन्य कार्मिक आवश्यकतानुसार नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। आयोग को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त होती है। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संगठनात्मक ढ़ाँचा)

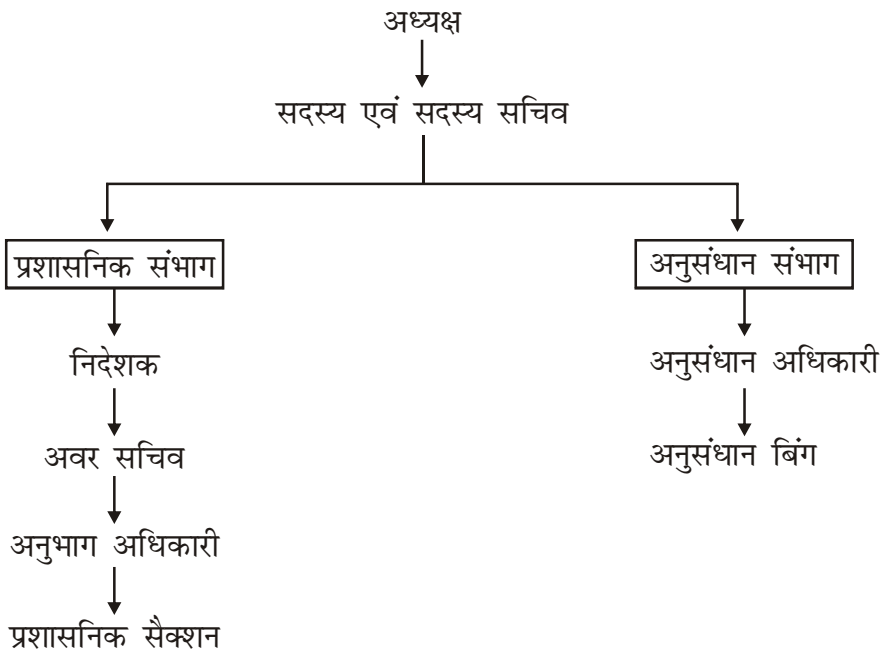

कार्य–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं :–

1. आयोग, नागरिकों के किसी वर्ग से सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों की जाँच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किये जाने या कम सम्मिलित किये जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे ।

2. आयोग की सलाह सामान्यतया केन्द्र सरकार पर आवद्धकर (आवश्यक) होगी । आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है । केन्द्र सरकार इसे संसद में रखवाती है ।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निश्चित करने का अधिकार दिया गया है । तथा इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं । आयोग के अधिनियम में कहा गया है कि–"केन्द्र सरकार, ऐसी सूचियों का उन सूचियों से ऐसे वर्गों का अपवर्जन करने की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गये हैं या एसी सूचियों में नये पिछड़े वर्गों के सम्मिलित किये जाने के लिये किसी भी समय पुनरीक्षण कर सकेगी तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस साल की समाप्ति पर और तत्पश्चात दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण करेगी ।"

कार्य–आयोग ने अपनी स्थापना से अबतक भारत सरकार को 1,103 जातियों/समुदायों के सम्बन्ध में सलाह दी है, जिसमें से 682 मामले शामिल करने के लिये तथा 451 मामले अस्वीकार करने के लिये थे ं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों और सलाहों के आधार पर अबतक 22 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के लिये अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची अधिसूचित की गई है ।

आजकल कई राज्यों में पिछड़े वर्गों में शामिल होने के लिये अन्दोलन चलते रहते हैं। गुजरात में हरियाणा में जाट आरक्षण के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। अत: पिछड़ा वर्ग आयोग का यह महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हो जाता है, कि वह अपनी जिम्मेदारियों को उचित रूप से निभाये।

राष्ट्रीय पिछ़डा वर्ग के अतिरिक्त भी पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को, एक कम्पनी के रूप में तथा अलाम के लिये 200 करोड़ रुपये की अधिकृत अंश पूँजी के साथ 13 जनवरी, 1992 को स्थापना की गई।

निगम के मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों में गरीब वर्गों के व्यक्तियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करने, उनकी तकनीकी और उद्यमी कुशलता को बढ़ाने और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सभी निगमों और बोर्डों के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना है। भारत सरकार ने 1912 तक इस निगम को 1,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूँजी के प्रति चुकता पूँजी के रूप में 737 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये। (वार्षिक रिपोर्ट 2008-09, भारत सरकार सामाजिक न्या और अधिकारिता मंत्रालय)।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम विभिन्न क्षेत्रों मं पिछड़े वर्गों के सदस्यों के रोजगार सृजन के लिये बड़ी मात्रा में आय सृजक कार्यकलापों को सहायता प्रदान करता है जो निम्नलिखित है–

1. कृषि तथा सम्बन्ध कार्य
2. शिल्प तथा पारम्परिक व्यवस्था
3. तकनीकी ट्रेड-स्वरोजगार
4. लघु तथा बहुत छोटे उद्योग
5. छोटे व्यवसाय
6. परिवहन सेवाएँ।

इस निगम ने पिछड़ वर्गों की पात्र, महिला लाभार्थियों के लिये 'स्वर्णिमा' नाम से एक विशेष योजना चलायी है। इस योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रतिलाभ ग्राही 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों (O.B.C.) को विशेष आर्थिक सहायता, सस्ती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिये ऋण आदि की व्यवस्था करता है।

सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये वर्ष 1998-99 में निम्नलिखित योजनायें शुरू की हैं :– जैसे परीक्षा पूर्व कोचिंग, अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिये छात्रावास, अन्य पिछड़े वर्गों के लिये मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता पहुँचाना।

परन्तु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तर्गत ये सब कार्य नहीं आते। सरकार ने राट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन देश में पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी समस्याओं तथा नीतियों को क्रियान्वित करने के लिये किया था। परन्तु सरकार ने भी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये उनके कदम उठाये हैं जिनमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम भी एक है।

5.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Minorities)

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी है । इधर भारतीय संविधान भी अल्पसंख्यकों को परिभावित नहीं करता । इसके अनुच्छेद 29 व 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है ।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 26 में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है । इस प्रावधानों से यह निषकर्ष निकाला जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों की समस्याओं से परिचित थे । इसलिये भारतीय संविाान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये अनेक प्रावधान किये गये हैं । सरकार ने राष्ट्रीय । सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के रूप में 5 समुदायों अर्थात मुस्लमी, सिखों, इसाइयों, बौद्धों तथा पाससियों को अधिसूचित किया है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है । इनके कल्याण के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं । 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समूहों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 19.5% है ।

अल्पसंख्यकों का कल्याण (Welfare of the Minorities):-अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है । गृह मन्त्रालय राष्ट्रीय एकता परिषद के तंत्र के माध्यम से धर्म, भाषा आदि के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों के एकीकरण सुनिशचित करने का दायित्व प्रारम्भ में कल्याण मंत्रालय को एक नोडल मन्त्रालय के रूप में सौंपा गया, जिसे अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । अल्पसंख्यों के कल्याण सम्बन्धित निम्नलिखित प्रयास उल्लेखनीय हैं :-

1. **अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग की स्थापना की है ।** अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और धर्म निरपेक्ष परम्पराओं को बनाये रखने के लिये भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा जनवरी 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी । मई 1992 में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुये राष्ट्रीय अल्पसंयक आयोग अधिनियम, 1992 में अधिनियमित किया गया और इस प्रकार इसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये और अधिक प्रभावी निकाय बनाया गया है । इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसका नाम 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' रखा गया है ।

आयोग का गठन (Composition):-अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा विख्यात, योग्य तथा सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से की जायेगी ।

अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे । आयोग की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है । आयोग को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त होता है ।

आयोग के कार्य (Functions):–आयोग निम्नलिखित या किन्हीं कार्यों का पालन करेगा :–

1. संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
2. संविधान में संसद तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित रक्षोपायों के कार्य की मॉनीटरिंग करना;
3. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सिफारिशें करना;
4. अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षापायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँज पड़ताल करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;
5. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनको दूर करने के लिये उपायों की सिफारिशें करना ।
6. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना और उनके दूर करने के लिये उपायों की सिफारिशें करना ।
7. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बन्ध में ऐसे समुचित उपायों का सुझाव देना जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कये जाने चाहिये ।
8. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी विषय पर, विशेषतया उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर केन्द्र सरकार को विशेष रिपोर्ट देना ।
9. कोई अन्य विषय जो केन्द्र सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया जाये ।

अधिनियम में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार आयोग द्वारा निर्दिष्ट सिफारिशें को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखवायेगी जिसमें संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को, यदि कोई हो, स्वीकार न किये जाने के लिये कारणों का स्पष्टीकरण होगा ।

इसी प्रकार रिपोर्ट में दिखाई गई कोई सिफारिश या उसका कोई भाग किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित है, वहाँ आयोग ऐसी सिफारिश या उसके भाग, की एक प्रति ऐसी राज्य सरकार को भेजगा जो उसे राज्य के विधान मण्डल के समक्ष जिसे राज्य सरकार एक ज्ञापन के साथ रखवायेगी, जिसमें राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों या उनके भाग को, यदि कोई हों, स्वीकार ने किये जाने के लिये कारणों का स्पष्टीकरण होगा ।

करीब 14 राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित हो चुके हैं–आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ।

आयोग को अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारित करने के क्रम में स्वतन्त्रता दी गई है। एक सचिव एवं अन्य कार्मिकें की सहायता से आयोग का प्रशासनिक कार्य सम्पादित होता है। इस आयोग को सिविल न्यायालय की सारी शक्तियाँ दी गई है। सन् 1999 में राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिये।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions)

भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक संस्थाओं को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धता (Affiliation) प्रदान करने की मांग लम्बे समय से उठायी जाती रही है। 27 अगस्त 2004 को (National monitoring committee for minority education) की बैठक में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई तथा विशेषज्ञों का सुझाव था कि इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिये। 11 नवम्बर 2004 को एक अध्यादेश के माध्यम से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 6 जनवरी 2005 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

संगठन (Composition)

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत स्थापित इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

अधिनियम की धारा-4 में कहा गया है कि अध्यक्ष पद के लिये, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो और जो अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है। आयोग में नियुक्त होने वाला व्यक्ति को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होना चाहिये तथा प्रतिष्ठा, योग्यता और सच्चरित्र से युक्त हो।

अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष तथा सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें दिवालिया या पागल होने, नैतिक रूप से गिरने, लागातार तीन बैठकों (आयोग के बैठकों) तक उपस्थित न होने, कार्य करने से मना करने तथा केन्द्र सरकार पद से हटा सकती है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के कार्य (Functions of National Commission for Minority Educational Institution)

अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं ने राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं:-

1. अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित आयोग को दिया गया किसी प्रश्न या मुद्दे पर केन्द्र या किसी राज्य सरकार को परामर्श देना;
2. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन और उनकी इच्छा के क्रम में उनके अधिकारों के मन या शोषण तथा सम्बद्धता (विश्वविद्यालय) सम्बन्धी विवादों के क्रम में जाँच करना तथा उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को क्रियान्वयन हेतु देना; और

3. आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के आवश्यक अन्य कार्य करना ।

शक्तियाँ (Power)

आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई है । आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा संसद में रखवाया जाता है ।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिये निम्नांकित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूची में वर्णित किये गये हैं :-

1. दिल्ली विश्वविद्यालय
2. उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय
3. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय
4. असम विश्वविद्यालय
5. नागालैन्ड विश्वविद्यालय
6. मिजोरम विश्व विद्यालय

इस प्रकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग के महत्व को देखते हुये 29 जनवरी 2006 को इनके महत्व तथा गम्भीरता की भाँपते हुये संघीय सरकार ने अल्पसंख्यक मामले सम्बन्धी स्वतन्त्र मन्त्रालय का गठन कर दिया है, जिसका प्रमुख कार्य मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी आल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कार्यक्रम नीति, नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा करना है । इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992, वक्फ अधिनियम 1995 तथा दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन भी सम्मालता है ।

कार्य:-आयोग के लिये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिनमें की गई कार्वाही ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाती है । इस आयोग ने अब तक आठ वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । इन रिपोर्टों की जाँच की गई है औश्र अनुवर्ती कार्यवाही के लिये अन्य मन्त्रालयों और विभागों के पास भेजी गई है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने देश में मुख्य धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के लिये अलग से व्यापक अध्ययन करने के लिये जून 1997 में अच्चाधिकार प्राप्त अध्ययन समिति गठित की है ।

नवम्बर 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया था जिससे अल्पसंख्यकों के बीच अधिक विश्वास उत्पन्न होगा । तदनुसार सरकार ने 23 दिसम्बर, 2004 को लोकसभा में संविधान (103 संशोधन) विधेयक, 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (निरसन) विधेयक 2004 पेश किया ।

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी

अल्पसंख्यक आयोग :-सरकार ने धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठना किया है ।

गठन :-जब इस आयोग इस समय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) रंगनाथ मिश्र इस आयोग के अध्यक्ष बनाये गये थे। तथा इसमें तीन (3) अन्य सदस्यों की भी व्यवस्था की गई थी।

कार्य :-आयोग धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित उनके कल्याण सम्बन्धी उपायों के लिये मानदण्ड सुझायेगा।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त :-संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी (भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त) की नियुक्ति का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकारों को भेजी जाती है। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने करीब 36 वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इन सभी को संसद के समक्ष रख दिया गया है। भाषायी अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी के संगठन का मुख्यालय इलाहाबाद में है जिसके क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाँव तथा चेन्नई में है।

अल्पसंख्यकों के लिये फरवरी 2006 में केन्द्र सरकार ने नये मन्त्रालय का गठन किया है। यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल के लिये केबिनेट स्तर के मन्त्री के देखरेख में कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये काम करता है। इसे मुख्यत: तीन कार्य सौंपें गये हैं-

1. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के आधार के बारे में सलाह देना।
2. इस वर्ग के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के बारे में सुझाव देना और यह उपाय शिक्षा औश्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में भी होंगे।
3. उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिये संवैधानिक व प्रशासनिक प्रक्रिया पद्धति के बारे में सुझाव देना और उन पर रिपोर्ट पेश करना।

केन्द्र वक्फ परिषद :-इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के भाग-8(अ) के अन्तर्गत की है, जबकि वर्तमान वक्फ परिषद् का पुर्नगठन 18 मार्च 2005 को किया गया है। इसके दो महत्वपूर्ण कार्य है:-

शहरी वक्फ संपत्तियों का विकास और शैक्षिक विकास कार्यक्रम।

शैक्षिक एवं आर्थिक विकास संगठन और योजना :-इस वर्ग के शैक्षिक विकास के लिये "मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन पंजीकृत सोसायटी" काम करती है, जिसे भारत सरकार की संचित निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मुख्यतया मौलाना आजाद सद्भावना केन्द्र, प्रतिभावना छात्राओं के लिये मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और मौलाना आजाद साक्षरता पुरस्कार योजना का संचालन करती है।

इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम की स्थापना 30 सितम्बर 1994 को की गई, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंयकों के लिये सहायता प्रदान करता है ।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम :—अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित 15 सूची कार्यक्रम के माध्यम से कल्याण मन्त्रालय (वर्तमान में अलपसंख्यक कार्य मन्त्रालय) उनके हितों का संरक्षण करता है ।

इस कार्यक्रम के सूत्र संख्या 1 से 7 साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने तथा नियन्त्रित करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और शान्ति बढ़ाने तथा अल्पसंख्यकों में पुनः विश्वास बहाल करने से सम्बन्धित उपाय निर्धारित है ।

सूत्र 8 से 10 में सरकारी नौकरियों, राज्यों तथा केन्द्र के पुलिस बलों में पुलिस कर्मिकों की भर्ती, रेलवे, राष्ट्रीय बैंकों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के भर्ती के मामले में सीतियों में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व प्रदान करके अलपसंख्यकों की ओर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार का भेदभाव न होने पाये ।

कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11 में अल्पसंख्यक सुदाय के उम्मीदवारों को कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि वे केन्द्रीय तथा ाज्य सरकारों, बैंकों, आदि में सार्वजनिक नियुक्तियों के लिये आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतियोगिता के योग्य बन सकें ।

सूत्र संख्या 12 में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आई० टी० आई० (ITI) तथा पॉलिटेक्निक खोलने की व्यवथा है, ताकि इस समुदायों के उम्मीदवार रोज गारोन्मुख शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें औश्र उससे उन्हें अपने पाँवों पर खड़े हो पाने में सहायता मिल सके । सूत्र संख्या 13 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों को निष्पक्ष एवं पर्याप्त रूप में मिल सकें ।

सूत्र 15 में अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामलो को निपटाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक सेलों (Cells) की स्थापना करने की अपेक्षा की गई है ।

यह कार्यक्रम राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । पूरे कार्यक्रम को मोनीटर भी किया जाता है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अल्पसंख्यक विंग द्वारा इसके कार्यान्वयन पर नजर रखी जाती है । प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण सम्बन्धी मंत्रीमण्डलीय समिति भी पुर्नगठित की गई है ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम :—सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्वरोजगार वाले उद्यमों की स्थापना के लिये पात्र अल्पसंयक लाभग्रहियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिये 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूँजी के साथ एक शीर्ष वित्त निगम अर्थात् राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है ।

विशेष न्यायालय :—जिन स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा व्यापक पैमाने पर हुई हो वहाँ साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिये राज्य सरकारों को विशेष न्यायालयों का गठन करने की सलाह दी गई है । अबतक स्थापित इस प्रकार के न्यायलयों की कुल संख्या 22 है ।

इस प्रकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा निगम बनाकर सरकार ने अनेक कल्याण के कार्यों को किया है ।

5.6 राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन एवं कार्य (Composition and Functions of National Commission for Children)

भारतीय परिपेक्ष्य में महिलाओं और बच्चों के साथ, खासकर बालिकाओ के साथ, सौतेला व्यवहार आम धारणा बन चुकी है, जिसे काफी प्रयास के बाद वरीयता दी जाने लगी है । हमारी संघीय एवं राज्य सरकार इस ओर पहले से कहीं ज्यादा कठोर नीति एवं कार्यक्रम आयोजित करने लगी है ।

महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को मळतव प्रदान करने के वास्ते पहले मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन एक अलग "महिला एवं बाल विकास विभाग" 1985 से काम कर रहा था । लेकिन विभाग का महत्व और इस वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता नेसरकार को अलग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गठित करने के लिये प्रेरित किया । अतः सरकार ने 30 जनवरी 2006 को इसे अलग स्वतन्त्र मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर दिया जिसके लिये सरकार ने 16 फरवरी 2006 कोएक अधिसूचना जारी कर बच्चों से सम्बन्धित कल्याण और सरुक्षा के सभी मामले जैसे किशोर बालको की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, केन्द्रीय दत्तक संसाधन एजेंसी (कारा) औश्र दत्तक ग्रहण भी इसी मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में सौंप दिये जो पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन थे ।

बच्चों से सम्बन्धित कानून एवं अधिनियमः–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित अधिनियमों एवं कानूनों को क्रियान्वित करता है । इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनिसेफ और यूनिफेम से भी सहयोग करके अपने प्रयासों को अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से जोड़ता है ।

1. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 (प्रस्तुत संदर्भ में 1986 में संशोधित अधिनियम) ।
2. शिशु दुग्ध विकास, दुग्धपान बोतल और शिुशु आहार उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम 1992 (सुरक्षा तथा संरक्षण) अधिनियम 2005 ।
3. किशोर न्याय, घरेलू हिंसा, महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 ।
4. बाल अधिकार संरखण आयोग अधिनियम 2005 ।
5. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जनवरी 2007 में अधिसूचित ।
6. बाल विवाह निषेध अधिनियम (2006), जनवरी 2007 में अधिसूचित ।

इस विषयों पर विचार मंथन, नीति निर्माण, कार्यक्रम व क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का विशेष कार्यक्षेत्र है ।

इस प्रकार **बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अधिसूचना जनवरी 2007 में की गई ।** यह एक वैधानिक संस्था और स्वायत संगठन है । प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये मंत्रालय के अधीन है । तथा यह पंजीकृत

संगठन है। इस वर्ग के कल्याण के लिये खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड है जो पही खाद्य मंत्रालय का हिस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिंहारव के हस्तक्षेप के बाद इसे राष्ट्रीय, पोषाहार नीति के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1993 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया। बाद में पोषाहार की समस्या और व्यापक समाधान के लिये 31 जुलाई 2003 को राष्ट्रीय पोषाहार निगम की स्थापना की गई।

बच्चों के लिये कल्याणकारी योजना एवं नीति :–

1. समन्वित बाल विकास सेवा :–इसका उद्देश्य है–(i) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान काराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार, (ii) बाल मृत्युदर, कुंपोषण और स्कूल शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी, (iii) बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक ओश्र सामाजिक विकास पर जोर; (iv) स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा की समुचित व्यवस्था करके माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य व पोषाहार सम्बन्धी आवश्यकताओं की क्षमता में वृद्धि। इस प्रायोजन के लिये सरकार ने आंगनबाड़ी और कुपोषित बच्चों के लिये मुक्त अनाज का प्रावधान किया है।

2. **सड़कां पर रहने वालो बच्चों के लिये समेकित कार्यक्रम :**- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क पर रहने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों को पुन: सामाजिक मुख्य धारा में लाना है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अनेक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके लिये 90% खर्च केन्द्र सरकार और 10% अन्य संस्थान वहन करते हैं। इन बच्चों के लिये आश्रय, पोष्टिक आहार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. **चाईल्ड लाइन सेवायें :**- इसका उद्देश्य मुसीबत व शोषण से पीड़ित बच्चों का उत्थान करना है। इसके लिये 1098 फोन नं० 24 घंटे मुक्त सेवा है। यह सेवा उन बच्चों के लिये है जो आपात स्थिति में फंसे हुये है। यह बच्चों को आवश्यकता के समय कानूनी, मेडिकल, पुलिस आदि सहायता उपलब्ध कराती है। इसके लिये सरकार ने चाइल्ड लाइन इंडिया फाउन्डेशन की भी स्थापना की है।

4. **किशोर न्याय देखभाल एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2000 :**- यह अधिनियम 1 अप्रैल 2001 से जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत "किशोर न्याय बोर्ड" का गठन किया गया है। जो प्रत्येक जिले में कार्यान्वित है। इस बोर्ड में एक महादंडाधिकारी, दो सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनमें एक महिला होती है, शामिल हैं।

5. **कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह रोक :**- इसे रोकने के उद्देश्य से सरकार ने जन्म से पहले लिंग जाँच औश्र कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1994 लागू किया है। बाल विवाह रोकने के लिये बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 1929 क स्थान पर "बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम 2006" कारगर बनाते हुये क्रियान्वित किया जा रहा है।

6. **धन लक्ष्मी बीम कवर सहित बालिकाओं को नकद राशि :-** बालिकाओं को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये 3 मार्च 2008 को इस योजना की शुरूआत की । इस योजना के दो उद्देश्य हैं :– कन्या शिशु को बचाये रखना और उन्हें वित्तीय सहायता देना तथा कन्या के प्रति सामाजिक मनोवृति में वृद्धि करना जिसमें कन्या गरीब परीवारो को बोझ ना लगे ।

7. **यूनीसेफ का सहयोग :-** महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम में भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनीसेफ के कार्यक्रमों के साथ भी काम कर रही है, जिसके लिये दानों के बीच परस्पर सहयोग की नीति अपनाई गई है ।

8. **बाल दिवस :-** भारत सरकार बच्चों के प्रति सद्भाव व भेदभाव उन्मूलन करने के इरादे से प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को बाल दिवस के रूप में मनाती है, ताकि किशोरों और किशोरियों में राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक लगाव महसूस हो सके और समाज व राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों को भी जानने लगें ।

9. **राजवी गाँधी मानव सेवा पुरस्कार :-** यह पुरस्कार 1994 में आरम्भ किया गया है जिसमें बच्चों के कल्याा के लिये मानव सेवा करने वालों को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है ।

5.7 सारांश (Summary)

समाज कल्याण को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा बच्चों की स्थिति सुधारने के लिये तथा उन्हें समाज में बराबर का दर्जा प्रदान करने के लिये अनेक आयोगों का गठन किया है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई जिसकी प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयन्ती पटनायक थी । भारत में अस्सी के दशक के दौरान महिलाओं की परिस्थिति (Status) पर गठित समिति तथा अन्य कई अवसरों एवं मंचों पर यह दबाव बना रहा कि देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने, उन्हें सशक्त बनाने तथा वैधानिक प्रावधानों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिये एक सर्वोच्च संस्था होनी चाहिये । इसी क्रम में मई 1990 में लोक सभा में राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक प्रस्तुत किया गया । आयोग के कार्यों की चर्चा पहले की जा चुकी है । आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से लेकर अब तक महिलाओं को समसता, न्याय तथा सम्मान का अधिकार दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है महिला शिक्षा ने विस्तार करवाने में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचिज जनजाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 में हुआ । इसे अपने कार्यकरण में पूर्ण स्वायत्त बनाया गया है । अतः भारत में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को तत्परता से निपटाने तथा उपनर विशेष ध्यान देने के लिये इस आयोग की स्थापना की गई । इसके कार्यों की चर्चा पहले की जा चुकी है ।

भारत में अनुसूचित जातियें तथा अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी जातियों तथा वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। अत: इसे ध्यान में रखकर 14 अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके कार्यों की चर्चा पहले की जा चुकी है।

भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा नस्लों के निवास करते हैं। यद्यपि देश में हिन्दू धर्मावलाम्बियों की संख्या सर्वाधिक है, तथापि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा पारसी धर्मावलम्बियों को भी पूर्ण प्रश्रय प्रदान किया गया है। अत: अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992" (1992 का 19वाँ) पारित किया गया है।

बच्चे देश के भविष्य हैं। अत: बिना बचों के प्रगति के देश की प्रगति सम्भव नहीं है। अत: भारत सरकार ने इस ओर भी कदम उठाये हैं। इस हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अधिसूचना जनवरी 2007 में की गई। इस प्रकार बच्चों से सम्बन्धित कानून एवं अधिनिय बनाये गये हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने बच्चों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनायें एवं नीतियों का निर्माण किया है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार समाज के पिछड़े हुये जन समूह को आगे बढ़ाने लिये समय-समय पर अनेक आयोगों का गठन किया है, जिससे सभी वर्गों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मोका मिले।

5.8 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. **राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्ण करें।**
   Discribe the composition and functions of the National commission for women.

2. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आलोचनात्मक व्याख्या करें।**
   Critically examine the National commission for backward classes.

3. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन एवं कार्यों को चर्चा करें।**
   Write about the composition and functions of the National commission for minorities.

4. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से गठन एवं कार्यों के संवैधानिक पक्ष की चर्चा करें।**
   Write about the composition and constituttional factors about the functions of the National commission for scheduled castes and scheduled tirbes.

5.9 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

1. **भारतीय शासन एवं राजनीति** : डा० ए० पी० अवस्थी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा
2. **प्रशासन एवं लोक नीति** : संपादन मनोज सिन्हा आरियन्टल ब्लैक स्वौन, हैदराबाद
3. **सामाजिक प्रशासन** : डा० सुरेन्द्र कटारिया आर० बी० एस० ए० पब्लिशर्स, जयपुर
4. **राजनीतिक समाजशास्त्र** : डा० पुखराज जैन डा० बी० एल० फाड़िया साहित्स भवन पब्लिकेशन, आगरा